न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/03/2024	2024/149	14.03.2024	30.01.2025

1. मूर्ति मंदिन श्री लक्ष्मीनारायणजी महाराज सा0 मूनपुर जरिये पुजारी पं. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री कांतीचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मूनपुर तह0 राजगढ़ जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गंगादेवी पत्नी स्व. श्री शिवदयाल जाति ब्राह्मण निवासी स्कीम नं. 10 अरस्सी क्वार्टर अलवर राज0।
2. टीकम चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री शिवदयाल जाति ब्राह्मण निवासी स्कीम नं. 10 अरस्सी क्वार्टर अलवर राज0
3. सुनीतादेवी पुत्री स्व0 श्री शिवदयाल पत्नी लक्ष्मण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
4. मंजूदेवी पुत्री स्व0 श्री शिवदयाल पत्नी श्रीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला ब्रह्मचारी, शहर अलवर राज0।
5. कलावती देवी पुत्री स्व0 श्री शिवदयाल पत्नी श्री पूरणमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
6. राधेश्याम पुत्र चिरंजीलाल
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र चिरंजीलाल ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर हाल स्कीम नं. 10 अस्सी क्वार्टर अलवर राज0।
8. चन्द्रकला पुत्री चिरंजीलाल पत्नी कल्याणसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ठुमरेला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
9. तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर।

—रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 312 निर्णय दिनांक 10.01.2013 ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री जगदीश प्रसाद यादव —वकील अपी0

02—श्री सोहन लाल शर्मा —वकील रेस्पो0

03—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0 स. 9

:निर्णय:

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 312 निर्णय दिनांक 10.01.2013 ग्राम मूनपुर, तहसीलदार राजगढ़ द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 10.01.2013 पारित कर इंतकाल संख्या 312 वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, चूँकि उक्त प्रकरण में मिन अपीलान्ट को बिना तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम बार दिनांक 17.12.2017 को हुई, जब रेस्पाडेन्टान ने मिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्ट द्वारा एतराज किया तो रेस्पाडेन्टान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ने मिन अपीलान्ट को बताया कि उक्त आराजी की बाबत उनके नाम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 312 दर्ज व स्वीकार किया गया है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 18.12.2017 को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय से उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल मिन अपीलान्ट को दिनांक 19.12.2017 को प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्ती के पश्चात मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया एवं रूपयों का इंतजाम होने के पश्चात आज यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है जो काबिल माफी है, जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य मुकदमा इस प्रकार है कि अपीलाधीन आराजी मूर्ती मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी महाराज के भोग खर्च की आराजी थी जिसकी बावत पूर्व में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12.03.2012 को इंतकाल संख्या 306 दर्ज किया गया था, परन्तु उसके पश्चात रेस्पाडेन्टान से साजबाज होकर अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित इंतकाल संख्या 312 रेस्पाडेन्टान के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न वजूहात के साथ पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित इंतकालाधीन आराजी से रेस्पाडेन्टान का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही है और ना ही कभी रहा है। विवादित आराजी हमेशा माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है, जिससे ही मंदिर के भोग का खर्च चलता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी की बाबत एक रेफरेन्स प्रकरण बअनुवान सरकार बनाम भौरेलाल एल.आर/112/2000/अलवर विचाराधीन था जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 12.03.2012 का आदेश दिया गया कि "अतिरिक्त कलक्टर अलवर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 190 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि से अप्रार्थीगण भौरेलाल पुत्र छाजूराम, मोहनलाल, किशोरीलाल, चिरंजीलल पुत्र लालाराम का नाम कलमजन कर उक्त भूमि पुनः मूर्ती मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।" अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त आदेश की बखूबी जानकारी थी तथा उक्त आदेश की अनुपालना में ही भौरेलाल पुत्र छाजूराम, मोहनलाल, किशोरीलाल, चिरंजीलल पुत्र लालाराम का नाम कलमजन कर इंतकाल संख्या 306 दर्ज व स्वीकार किया गया था, परन्तु उक्त आदेश को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ताक पर रखते हुए अपना निर्णय पारित कर विवादित इंतकाल रेस्पाडेन्टान के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है।

इंतकालाधीन आराजी रेस्पाडेन्टान का कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है तथा उक्त आराजी मूर्ती मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी के तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा मिन अपीलान्ट उक्त आराजी के समस्त रिकार्ड में भी बतौर खातेदार काश्तकार दाखिल चला आ रहा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही किया गया है। रेस्पाडेन्ट सं. 01 द्वारा उक्त अपील में मिन अपीलान्ट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अन्य रेस्पाडेन्टान से साजबाज होकर मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला अपील दायर कर उक्त निर्णय पारित कराया है। जबकि हाल रिकार्ड में भी मिन अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज है उसके उपरांत भी मिन अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस स्थिति में भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित इंतकाल की आड में रेस्पाडेन्टान मिन अपीलान्ट को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं। उक्त अपील में मिन अपीलान्ट को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है जबकि विवादित आराजी का मिन अपीलान्ट तन्हा खातेदार काश्तकार है

आ. रेवे. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) 20.1.18

तथा उक्त निर्णय से मिन अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है। उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट का हित निहित है इसलिए मिन अपीलान्ट को अपने हितो की रक्षार्थ उक्त अपील पेश किया जाना आवश्यक है। जिसकी इजाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र ध् पारा 96 जा०दी० पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 10.01.2013 इंतकाल संख्या 312 ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

रेस्पो0 सं0 9 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2013 के विरूद्व दिनांक 27.12.2013 को पेश की गयी है जो करीब 11 माह 17 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व अधिवक्ताओं की बहस से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा माफी मंदिर के पक्ष में निर्णय किये जाने के बाद एवं अमल होने के बाद भी एक खातेदार की मृत्यु पर फौती नामान्तकरण खोल कर तस्दीक करवा लिया जो न केवल विधिविरूद्ध है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक व पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अतः तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय दिनांक 10.01.2013 इंतकाल संख्या 312 आराजी खाता संख्या 77 खसरा नंबर 43, 44, 45, 417/736, 600, 605, 606 ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ का आदेश इंतकाल संख्या 312 निर्णय दिनांक 10.01.2013 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ को निर्देश दिए जाते हैं कि रेस्पो0 सं0 1 लगा0 5 के पिता का नाम एवं रेस्पो0 सं0 6 लगा0 8 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 77 खसरा नंबर 43, 44, 45, 417/736, 600, 605, 606 को मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के नाम इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)